



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

551789

RAVINDER PATEL
STAMP VENDER
Civil Court, Sultanpur
Date - 4/4/2021

C-T C-5.00 मात्र/५० ग्रे १७८

मात्र/५०

५०

मात्र/५०

५०

०५८० - १०२४
ग्रे १७८ १.०१.२०२१

५०

५०

२०२१

Rs - ११/२०२१ .८१

५०

५०

९-शिवम उम्र लगभग 19 वर्ष

१०-सुन्दरम उम्र लगभग 16 वर्ष

५०

31/1

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर

कक्ष सं०-१५

9/29

CIVIL
S.R.

बृजेश कुमार उम्र लगभग 54 वर्ष सुत स्व० कमला प्रसाद निवासी वार्ड विवेक
नगर, नगर पंचायत कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील लम्बुआ, जनपद
सुलतानपुर.....वादी

बनाम

- 1—ओम प्रकाश उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र मोहन
- 2—श्रीमती सीता देवी उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी भुलई
निवासीगण वार्ड हनुमान नगर, नगर पंचायत कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील
लम्बुआ, जनपद सुलतानपुर.....प्रतिवादीगण
- 3—प्रवीन कुमार उम्र वयस्क सुत अवधेश दूबे
- 4—श्रीमती दुर्गा देवी उम्र वयस्क पत्नी अवधेश दूबे
- 5—प्रदीप कुमार उम्र वयस्क सुत सुरेश
- 6—रामसुख उम्र वयस्क सुत अनन्त प्रसाद
निवासीगण ग्राम—पकड़ीकला, परगना चांदा, तहसील लम्बुआ, जिला सुलतानपुर
- 7—रमेश उम्र वयस्क सुत रामनिधि
- 8—सत्यम प्रकाश उम्र लगभग 25 वर्ष
- 9—शिवम उम्र लगभग 19 वर्ष
- 10—सुन्दरम उम्र लगभग 16 वर्ष

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर कक्ष संख्या-१५
बनाम ओम प्रकाश आदि
बृजेश कुमार वादी
दायरा तिथि— 01/01/2021

मुकुल/अमृत

3/3

11—शुभम उम्र लगभग 14 वर्ष सुतगण स्व0 राम गोपाल

अवयस्कगण द्वारा नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती कमलतारा स्वयं

12—श्रीमती कमलतारा उम्र वयस्क धर्मपत्नी स्व0 राम गोपाल

13—कु0 सोना देवी उम्र लगभग 20 वर्ष

14—कु0 चांदी देवी उम्र लगभग 18 वर्ष पुत्रीगण स्व0 राम गोपाल

15—अशोक कुमार उम्र लगभग 52 वर्ष सुत स्व0 कमला प्रसाद

16—राजमणि उम्र लगभग 35 वर्ष सुत स्व0 सत्य नरायन

17—श्रीमती गीता उम्र लगभग 65 वर्ष धर्मपत्नी स्व0 सत्य नरायन

निवासीगण वार्ड विवेक नगर, नगर पंचायत कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील
लम्झुआ, जनपद सुलतानपुर

18—श्रीमती उमा साहू उम्र वयस्क पत्नी दिलीप कुमार साहू

19—शीला देवी उम्र वयस्क पत्नी लालचन्द्र

निवासीगण वार्ड राम नगर, नगर पंचायत कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील
लम्झुआ, जनपद सुलतानपुर.....

औपचारिक प्रतिवादीगण

मूल वाद सं0..... / 2021

दायरा तिथि— 2/01/2021

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में वादी निम्न प्रकार निवेदन करता हैं कि :—


धारा—1. यह कि वादपत्र के साथ एक मानचित्र संलग्न है, जिसमें विवादित सम्पत्ति बरंग सुर्ख व अन्य सम्बन्धित वस्तुएं यथा स्थान दर्शित हैं।
यह मानचित्र वादपत्र का अभिन्न अंग है।

धारा—2. यह कि वादपत्र के कथनों को समझाने के लिए निम्न वंशावली आवश्यक व सहायक होगी, जो निम्नवत है—

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख) महोदय सुलतानपुर कक्ष सं. 15
बनाम औम प्रकाश आदि
व्यादेश कुमार

दायरा तिथि— 01/2021

374



धारा-3. यह कि बजरंग बली वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 के पूर्वज थे, जो बाजार कोईरीपुर के मूल निवासी थे व कृषि ही उनकी जीविका का मुख्य साधन थी व उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के अध्यासित स्वामी उनकी मृत्योपरान्त उनके वंशज हुए व वर्तमान समय में वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के संयुक्त रूप से अध्यासित स्वामी हैं।

धारा-4. यह कि इस वाद की विवादित सम्पत्ति खसरा नंबर 645 रकमा 0.2060 हेठो स्थित ग्राम कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील लम्बुआ, जिला सुलतानपुर में स्थित है। विदित रहे कि बाजार कोईरीपुर शहर सुलतानपुर की पुरानी बाजार थी व वर्तमान समय में नगर पंचायत के रूप में है। नगर पंचायत कोईरीपुर द्वारा सभी की सहमति से खसरा नंबर 643, 645 व 646 में पक्की सड़क का निर्माण किया गया है।

न्यायालय श्रीमान तिलिल जज (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर कक्ष संख्या-15
 दायरा तिथि- 01/2021
 बनाम ओम प्रकाश आदि
 बृजेश कुमार

धारा-5. यह कि खसरा नंबर 645 वर्तमान समय में नगर पंचायत कोईरीपुर के वार्ड हनुमान नगर में स्थित है। जिसके अध्यासित स्वामी वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 हैं एवं राजस्व अभिलेखों में वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में अंकित हैं।

धारा-6. यह कि खसरा नंबर 645 में वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 के नीम, आम, जामुन, अमरुद आदि के 15 पेड़ हैं। इन पेड़ों का फल, फूल, लकड़ी वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 बतौर स्वामी इस्तेमाल कर रहे हैं।

धारा-7. यह कि औपचारिक प्रतिवादीगण 18 व 19 वादी के न तो परिवार के हैं व न ही वादी के वंशवृक्ष के हैं व न ही प्रतिवादीगण 18 व 19 को वादी व प्रतिवादीगण 3 त्रा 17 द्वारा कोई दस्तावेज अन्तरण हेतु नहीं लिखा गया है। प्रतिवादीगण 18 व 19 का विवादित सम्पत्ति खसरा नंबर 645 से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, उनका नाम संयुक्त खतौनी में गलत दर्ज हो गया है, जिसके लिए वादी आवश्यक कार्यवाही राजस्व न्यायालय में करने जा रहा है। परन्तु खतौनी में वर्तमान समय में उनका नाम दर्ज होने के कारण उन्हें इस वाद में औपचारिक प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया जा रहा है।

धारा-8. यह कि उपरोक्त कथनानुसार वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 इस वाद की विवादित सम्पत्ति के अध्यासित स्वामी हैं।

धारा-9. यह कि प्रतिवादीगण 1 व 2 से इस वाद की विवादित सम्पत्ति से कोई वास्ता व सरोकार न था, न है, न होने का कोई औचित्य है, परन्तु प्रतिवादीगण सरकश व सरहंग व्यक्ति है व गांव में उनकी नाजायज गोल कायम है व राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसी का अनुचित लाभ लेकर वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 की इस बेशकीमती सम्पत्ति के नगर पंचायत कोईरीपुर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर नव

ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ - ୫୩

361
6

निर्माण कर लेना चाहते हैं, जिसका कि प्रतिवादीगण 1 व 2 को कर्त्तव्य तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा-10. यह कि प्रतिवादीगण 1 व 2 दिनांक 08.01.2021 को मौके पर आये व विवादित सम्पत्ति की नाप जोख करने लगे, जिसे देखकर वादी ने उन्हें रोका व कारण पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें यह सम्पत्ति पसन्द है और इस सम्पत्ति को उन्हें हासिल करना है, इस कारण वह इस सम्पत्ति को धेरकर इसमें निर्माण करेंगे, वादी ने उन्हें रोका व बताया कि यह सम्पत्ति उनकी भूमिधरी सम्पत्ति है और उनके नाम खतौनी में दर्ज है, परन्तु प्रतिवादीगण 1 व 2 कुछ भी सुनने व मानने को तैयार नहीं हुए। इसपर वादी ने हल्ला गोहार मचाया व मौके पर लोगों के इकट्ठा हो जाने के कारण प्रतिवादीगण 1 व 2 को मौके से हटना पड़ा, परन्तु प्रतिवादीगण 1 व 2 जाते जाते यह धमकी देते गये कि उन्हें जो करना है, वह करके रहेंगे, वादी को जो करना हो कर लें।

धारा-11. यह कि प्रतिवादीगण 1 व 2 दिनांक 10.01.2021 को पुनः मौके पर आये व विवादित सम्पत्ति से वादी को पुनः जबरन बेदखल करने का प्रयास करने लगे, जिसपर वादी ने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, उनके हस्तक्षेप से प्रतिवादीगण 1 व 2 को मौके से हटना पड़ा परन्तु प्रतिवादीगण 1 व 2 के द्वारा की जा रही निरन्तर इन विधि विरुद्ध कार्यवाहियों के कारण वादी को अब माननीय न्यायालय की शरण लेना आवश्यक व अनिवार्य हुआ है।

धारा-12. यह कि चूंकि प्रतिवादीगण 1 व 2 जबरन विवादित सम्पत्ति पर कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है एवं वादी के अनुनय विनय, निवेदन पर अपनी गैर कानूनी हरकत को रोकने को तैयार नहीं है व बगैर माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 की सम्पत्ति अब सुरक्षित नहीं रही है, इसलिए वादी के समक्ष यह वाद दायर करने की अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। चूंकि प्रतिवादीगण 3 ता 17 गांव में नहीं हैं व बाहर हैं, इस कारण इस वाद

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर कक्ष संख्या-15
दायरा तिथि- 01/01/2021
बृजेश कुमार बनाम औम प्रकाश आदि

मुझे भी काम है

में बतौर वादीगण शामिल नहीं हो पा रहे हैं व उन्हें इसी कारण औपचारिक प्रतिवादीगण बनाते हुए उनके पक्ष में भी याचना मांगी जा रही है।

धारा-13. यह कि वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 ने इस वाद की विवादित सम्पत्ति को प्रतिवादीगण 1 व 2 को अथवा अन्य किसी को किसी भी रीति से विक्रय या अन्तरित नहीं किया है व न ही प्रतिवादीगण 1 व 2 को इस वाद की विवादित सम्पत्ति पर कब्जा करने अथवा निर्माण करने की अनुमति ही प्रदान किया है।

धारा-14. यह कि माननीय न्यायालय के इस वाद के निस्तारण का क्षेत्रीय व आर्थिक क्षेत्राधिकार क्रमशः विवादित भूमि की भौगोलिक स्थिति व वाद मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त है।

धारा-15. यह कि वाद का मूल कारण दिनांक 08.01.2021 व बादहू 10.01.2021 को उपरोक्त कथनानुसार तब उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादीगण 1 व 2 मौके पर आये व विवादित सम्पत्ति से वादी को जबरन बेदखल कर, जबरन कब्जा कर, नव निर्माण करने की धमकी दिया गया।

धारा-16. यह कि वाद का मूल्यांकन विवादित सम्पत्ति की बाजारी कीमत रु0 06 लाख के अनुसार वास्ते निस्तारण वाद रु0 06 लाख कायम किया जाता है एवं चूंकि दावा स्थायी व्यादेश का है, इसलिए वास्ते याचना 'अ' अधिकतम निर्धारित न्यायशुल्क रु0 500/- वास्ते सुनवाई अदा किया जाता है।

धारा-17. यह कि वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 माननीय न्यायालय के माध्यम से उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 व 2 निम्न अनुतोष प्राप्त कर पाने का अधिकारी हैं :—

अ— डिक्री स्थायी व्यादेश की वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 के पक्ष में प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरुद्ध इस आशय की परिति करने की कृपा की जावे कि प्रतिवादीगण 1 व 2 को सदा सर्वदा के लिए निषिद्ध कर दिया जावे कि प्रतिवादीगण 1 व 2 विवादित सम्पत्ति पर वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 के शान्तिपूर्ण स्वामित्व व अध्यासन में हस्तक्षेप

Aglaia *montana*

न्यायालय श्रीमान सिंचिल जज (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर कक्ष संख्या-१५
बनाम ओ.प्र प्रकाश आदि दायरा तिथि- /०१ /२०२१

३५) ४

न करे व न ही विवादित सम्पत्ति से वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 17 को बेदखल करें व न ही विवादित सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करे, व न ही विवादित सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई निर्माण करे एवं न ही विवादित सम्पत्ति में स्थित वादी व औपचारिक प्रतिवादीगण 3 ता 17 के दरख्तान को न काटें एवं न ही कोई ऐसा कार्य करे, जिससे विवादित सम्पत्ति की प्रकृति बदले, उसके उपयोग-उपभोग व वास्तविक मूल्य में कमी आवे।

- ब— वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण 1 व 2 से दिलाया जावे।
 स— अन्य याचना जो न्यायालय की राय में उचित हो, वादी व औपचारिक प्रतिवादीगण 3 ता 17 के पक्ष में हो, विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 व 2 प्रदान की जावे।

विवरण विवादित सम्पत्ति

स्थित ग्राम—कोईरीपुर, परगना—चांदा, तहसील—लम्भुआ, जिला—सुलतानपुर में स्थित खसरा नंबर 645 रकबा 0.2060हें 0 जो संलग्न मानचित्र वादपत्र में बरंग सुर्ख दर्शित है, मानचित्र वादपत्र का अभिन्न अंग है।

मैं वादी सं० 1 स्वयं सत्यापित करता हूं कि वादपत्र की धारा 1 ता 13 में अंकित तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सच है एवं धारा—14 ता 16 व 17 याचना के सही होने का विश्वास करता हूं। सत्य बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे। स्थान सत्यापन—दीवानी न्यायालय परिसर सुलतानपुर।

तिथि सत्यापन :— / 01 / 2021

प्रार्थी

बृजेश कुमार वादी
—वादी

द्वारा,
सुधांशु श्रीवास्तव एडवाकेट
दूरभाष—9415394289

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर कक्ष संख्या—15
दायरा तिथि— / 01 / 2021
बनाम बृजेश कुमार ओम प्रकाश आदि

242
1

न्यायालय सिविल जज (प्रबंध एवं प्रकाशन) काश्मीर
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या— १४/२।

मृत्यु लिखा वनाम डोगे पुलाशि

दिनांक १२/१२।

आज यह वादपत्र तथा शपथपत्र मन्त्रालय द्वारा दिया गया है।
परिवारिकता। अग्रीकरण के बिन्दु पर सुनवाई।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकरण हो।
वास्तविक विवाह तहरीरी एवं दिनांक २२/१२।
वादविन्दु पेश हो। विपक्षी को सन्वेदन दिया।

१५/१२।

✓

प्रसारित दिनांक दिया गया।
कंसुल लिखा वनाम डोगे पुलाशि

५३२ प्रार्थनापत्र हुक्म इमिनाई चन्द्रोजा अन्तर्गत आटश ३७ निरम
जाठदी०।

६३२ शपथपत्र।

७३२ प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश २६ निरम वनाम डोगे पुलाशि

१५
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष स०-१५
सुलतानपुर।

२५२
११

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या- 98/21

वृजेश कुमार — बनाम — ओम प्रकाश ।

दिनांक-12.01.2021

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा कथन किया गया है कि वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित सम्पत्ति उसके स्वत्व व अध्यासन की सम्पत्ति है। प्रतिवादीगण सं0-1 व 2 का वादभूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी की ओर से दाखिल प्रलेखों का परिशीलन किया। वादी ने विवादित भूमि का गाटा नं0- 645 बताया है। गाटा सं0-645 में प्रतिवादी नं0-18 व 19 सहखातेदार के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा उनके पक्ष में कोई अनुतोष याचित नहीं किया है और न ही दावे में यह स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी नं0- 18 व 19 द्वारा प्रतिवादी नं0-1 व 2 के पक्ष में कोई अन्तरण किया गया है या नहीं। अतः ऐसे में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादी को रुग्न जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आगंत्रित किया जाता है। पत्रावली वारते निरतारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 27.01.2021 को पेश हो।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कर्मीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त अभ्यापक्ष को शून्यित कर नियमानुसार वाद भूमि का कर्मीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

245
3

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड)– कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–98 / 2021
बृजेश कुमार— बनाम— ओम प्रकाश आदि।

दिनांक–15–01–2021

प्रार्थना पत्र दिनांकित 14–01–2021 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सि० प्र० सं० वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा यह वाद स्थायी व्यादेश की याचना के लिए खसरा नम्बर 645 के जुज भाग के लिए दायर किया था। उक्त वाद को दायर करने के उपरान्त पक्षकार मुकदमा के मध्य सुलह की बातें चल रही हैं एवं वार्ता के पूर्व यह शर्त रखी गयी है कि पहले यह वाद उठा लिया जाये। वाद में तकनीकी व औपचारिक त्रुटि भी है, जो संशोधन के द्वारा दूर नहीं की जा सकती है। उपरोक्त परिस्थितियों में इस वाद को उठाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। भविष्य में प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों के हित प्रभावित न हों, इसलिए पुनः वाद दायर करने की अनुमति मिलना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सपथ पत्र से समर्थित है। चूंकि उपरोक्त पक्षकार मुकदमा के मध्य सुलह की बातें चल रही हैं एवं वार्ता के पूर्व यह शर्त रखी गयी है कि पहले यह वाद उठा लिया जाये तथा वाद में तकनीकी व औपचारिक त्रुटि भी है, जो संशोधन के द्वारा दूर नहीं की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दावा उठाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र वादी न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 14–01–2021 स्वीकार किया जाता है। वादी को भविष्य में नया वाद दाखिल करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दी जाती है।

कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफतर करें।


(संदीप कुमार)
अपर सिविल जज (प्र० ख०)– द्वितीय
सुलतानपुर।

OS-120/2021



INDIA COURT FEE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रान्तिक अधिकारी का दस्तावेज़ (क्र. 551798) में संलग्न

M
STAMP VENDER
Civil Court, Sultanpur

बृजेश कुमार
पुष्टीप और्मी

दाता दास
दाता तिलिष
16/01/2021

कोटि कीठ
500/-

प्राप्ति

120

बृजेश कुमार

कानूनी

कानूनी

अवयस्कगण द्वारा नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती कमलतारा स्वयं

10—श्रीमती कमलतारा उम्र वयस्क धर्मपत्नी स्व० राम गोपाल

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर

कक्ष सं०-१५

3/2

बृजेश कुमार उम्र लगभग 54 वर्ष सुत स्व० कमला प्रसाद निवासी वार्ड विवेक
नगर, नगर पंचायत कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील लम्बुआ, जनपद
सुलतानपुर

वादी

बनाम

- 1—प्रदीप उम्र लगभग 50 वर्ष सुत भुलई
- 2—श्रीमती सीता देवी उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी भुलई
- 3—ओम प्रकाश उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र मोहन
- 4—श्रीमती उमा देवी उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नी ओम प्रकाश
निवासीगण वार्ड हनुमान नगर, नगर पंचायत कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील
लम्बुआ, जनपद सुलतानपुर
- 5—रमेश उम्र वयस्क सुत रामनिधि
- 6—सत्यम प्रकाश उम्र लगभग 25 वर्ष
- 7—शिवम उम्र लगभग 19 वर्ष
- 8—सुन्दरम उम्र लगभग 16 वर्ष
- 9—शुभम उम्र लगभग 14 वर्ष सुतगण स्व० राम गोपाल
अवयस्कगण द्वारा नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती कमलतारा स्वयं
- 10—श्रीमती कमलतारा उम्र वयस्क धर्मपत्नी स्व० राम गोपाल

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर कक्ष संख्या-१५
दायरा तिथि- / 01 / 2021
बनाम प्रदीप आदि
बृजेश कुमार

11—कु० सोना देवी उम्र लगभग 20 वर्ष

12—कु० चांदी देवी उम्र लगभग 18 वर्ष पुत्रीगण स्व० राम गोपाल

13—अशोक कुमार उम्र लगभग 52 वर्ष सुत स्व० कमला प्रसाद

14—राजमणि उम्र लगभग 35 वर्ष सुत स्व० सत्य नरायन

निवासीगण वार्ड विवेक नगर, नगर पंचायत कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील लम्बुआ, जनपद सुलतानपुर

16—प्रवीन कुमार उम्र वयस्क सुत अवधेश दूबे

17—श्रीमती दुर्गा देवी उम्र वयस्क पत्नी अवधेश दूबे

18—प्रदीप कुमार उम्र वयस्क सुत सुरेश

19—रामसुख उम्र वयस्क सुत अनन्त प्रसाद

निवासीगण ग्राम—पकड़ीकला, परगना चांदा, तहसील लम्बुआ, जिला सुलतानपुर

20—श्रीमती उमा साहू उम्र वयस्क पत्नी दिलीप कुमार साहू

21—शीला देवी उम्र वयस्क पत्नी लालचन्द्र

निवासीगण वार्ड राम नगर, नगर पंचायत कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील लम्बुआ, जनपद सुलतानपुर..... औपचारिक प्रतिवादीगण

मूल वाद सं० / 2021

दायरा तिथि— / 01 / 2021

दावा स्थाधी व्यादेश

महोदय,


उपरोक्त सन्दर्भ में वादी निम्न प्रकार निवेदन करता है कि :—

धारा—1. यह कि वादपत्र के साथ एक मानचित्र संलग्न है, जिसमें विवादित सम्पत्ति बरंग सुख व अन्य सम्बन्धित वस्तुएं यथा स्थान दर्शित हैं।

यह मानचित्र वादपत्र का अभिन्न अंग है।

नवायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर कब संख्या—15
 वानान प्रदीप आदि
 दायरा तिथि— / 01 / 2021

धारा-2. यह कि वादपत्र के कथनों को समझाने के लिए निम्न वंशावली
आवश्यक व सहायक होगी, जो निम्नवत है—



धारा-3. यह कि बजरंग बली वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 के पूर्वज थे, जो बाजार कोईरीपुर के मूल निवासी थे व कृषि ही उनकी जीविका का मुख्य साधन थी व उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के अध्यासित स्वामी उनकी मृत्योपरान्त उनके वंशज हुए व वर्तमान समय में वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के संयुक्त रूप से अध्यासित स्वामी हैं।

धारा-4. यह कि इस वाद की विवादित सम्पत्ति खसरा नंबर 645 रकबा 0.2060हें० स्थित ग्राम कोईरीपुर, परगना चांदा, तहसील लम्हुआ, जिला सुलतानपुर में स्थित है। विदित रहे कि बाजार कोईरीपुर शहर

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ड०) महोदय सुलतानपुर कस संख्या—१५
 दायरा तिथि— /०१ / २०२१
 प्रदीप आदि
 वनाम
 बृजेश कुमार
 अनन्त प्रसाद

सुलतानपुर की पुरानी बाजार थी व वर्तमान समय में नगर पंचायत के रूप में है। नगर पंचायत कोईरीपुर द्वारा सभी की सहमति से खसरा नंबर 643, 645 व 646 में पक्की सड़क का निर्माण किया गया है।

- धारा-5. यह कि खसरा नंबर 645 वर्तमान समय में नगर पंचायत कोईरीपुर के वार्ड हनुमान नगर में स्थित है। जिसके अध्यासित स्वामी वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 हैं एवं राजस्व अभिलेखों में वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 के नाम संक्रमणीय गूगिधारी के रूप में अंकित हैं।
- धारा-6. यह कि खसरा नंबर 645 में वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 के नीम, आम, जामुन, अमरुद आदि के 15 पेड़ हैं। इन पेड़ों का फल, फूल, लकड़ी वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 बतौर स्वामी इस्तेमाल कर रहे हैं।
- धारा-7. यह कि औपचारिक प्रतिवादीगण 20 व 21 वादी के न तो परिवार के हैं व न ही वादी के वंशवृक्ष के हैं व न ही प्रतिवादीगण 20 व 21 को वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 द्वारा कोई दस्तावेज अन्तरण हेतु नहीं लिखा गया है। प्रतिवादीगण 20 व 21 का विवादित सम्पत्ति खसरा नंबर 645 से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, उनका नाम संयुक्त खतौनी में गलत दर्ज हो गया है, जिसके लिए वादी आवश्यक कार्यवाही राजस्व न्यायालय में करने जा रहा है। परन्तु खतौनी में वर्तमान समय में उनका नाम दर्ज होने के कारण उन्हें इस वाद में औपचारिक प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया जा रहा है।
- धारा-8. यह कि उपरोक्त कथनानुसार वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 इस वाद की विवादित सम्पत्ति के अध्यासित स्वामी हैं।
- धारा-9. यह कि प्रतिवादीगण 1 ता 4 से इस वाद की विवादित सम्पत्ति से कोई वास्ता व सरोकार न था, न है, न होने का कोई औचित्य है, परन्तु प्रतिवादीगण 1 ता 4 सरकश व सरहंग व्यक्ति है व गांव में उनकी नाजायज गोल कायम है व राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसी का अनुचित लाभ लेकर वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 की इस

न्यायालय श्रीमान स्थिविल जन (प्र०ख०) महोदय सुलतानपुर कक्ष संख्या-15
दायरा तिथि— / 01 / 2021
वनाम प्रदीप आदि
बुजेश कुमार

२०२३/८३१८८८

बेशकीमती सम्पत्ति के नगर पंचायत कोईरीपुर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर नव निर्माण कर लेना चाहते हैं, जिसका कि प्रतिवादीगण 1 ता 4 को कल्ताई तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा-10. यह कि प्रतिवादीगण 1 ता 4 दिनांक 15.01.2021 से विवादित सम्पत्ति में वादी व औपचारिक प्रतिवादीगण 5 ता 19 के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में जबरन हस्तक्षेप करने का प्रयास करने लगे व विवादित सम्पत्ति में स्थित वादी व औपचारिक प्रतिवादीगण 5 ता 19 के दरख्तानों को काटने की धमकी देने लगे व विवादित सम्पत्ति में जबरन नव निर्माण करने की धमकी देने लगे। इसपर वादी ने हल्ला गोहार मचाया व मौके पर लोगों के इकट्ठा हो जाने के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 4 को मौके से हटना पड़ा, परन्तु प्रतिवादीगण 1 ता 4 जाते जाते यह धमकी देते गये कि वे विवादित सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर रात बिरात निर्माण अवश्य करेंगे।

धारा-11. यह कि चूंकि प्रतिवादीगण 1 ता 4 जबरन विवादित सम्पत्ति पर कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है एवं वादी के अनुनय विनय, निवेदन पर अपनी गैर कानूनी हरकत को रोकने को तैयार नहीं है व बगैर माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 की सम्पत्ति अब सुरक्षित नहीं रही है, इसलिए वादी के समक्ष यह वाद दायर करने की अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। चूंकि प्रतिवादीगण 5 ता 19 गांव में नहीं हैं व बाहर हैं, इस कारण इस वाद में बतौर वादीगण शामिल नहीं हो पा रहे हैं व उन्हें इसी कारण औपचारिक प्रतिवादीगण बनाते हुए उनके पक्ष में भी याचना मांगी जा रही है।

धारा-12. यह कि वादी व औपचारिक प्रतिवादीगण 5 ता 19 व 20 व 21 ने इस वाद की विवादित सम्पत्ति को प्रतिवादीगण 1 ता 4 को अथवा अन्य किसी को किसी भी रीति से विक्रय या अन्तरित नहीं किया है व न

दायरा तिथे -
सुलतानपुर कक्ष संख्या-15
/ 01 / 2021

वायरल कंपनी	बैंक	वित्तीय संस्थान
वायरल कंपनी	बैंक	वित्तीय संस्थान

लूपोव नाम

ही प्रतिवादीगण 1 ता 4 को इस वाद की विवादित सम्पत्ति पर कब्जा करने अथवा निर्माण करने की अनुमति ही प्रदान किया है।

धारा-13. यह कि माननीय न्यायालय के इस वाद के निस्तारण का क्षेत्रीय व आर्थिक क्षेत्राधिकार क्रमशः विवादित भूमि की भौगोलिक स्थिति व वाद मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त है।

धारा-14. यह कि वाद का मूल कारण दिनांक 15.01.2021 को प्रतिवादीगण 1 ता 4 के हारा मौके पर आकर विवादित सम्पत्ति से वादी व औपचारिक प्रतिवादीगण 5 ता 19 को जबरन बेदखल कर, जबरन कब्जा कर, उसमें स्थित वृक्षों को काटकर नव निर्माण करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है।

धारा-15. यह कि वाद का मूल्यांकन विवादित सम्पत्ति की बाजारी कीमत ₹0 06 लाख के अनुसार वास्ते निस्तारण वाद ₹0 06 लाख कायम किया जाता है एवं चूंकि दावा स्थायी व्यादेश का है, इसलिए वास्ते याचना 'अ' अधिकतम निर्धारित न्यायशुल्क ₹0 500/- वास्ते सुनवाई अदा किया जाता है।

धारा-16. यह कि वादी व प्रतिवा�दीगण 5 ता 19 माननीय न्यायालय के माध्यम से उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 4 निम्न अनुतोष प्राप्त कर पाने के अधिकारी हैं :—

अ- डिक्री स्थायी व्यादेश की वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 के पक्ष में प्रतिवादीगण 1 ता 4 के विरुद्ध इस आशय की पारित करने की कृपा की जावे कि प्रतिवादीगण 1 ता 4 को सदा सर्वदा के लिए निषिद्ध कर दिया जावे कि प्रतिवादीगण 1 ता 4 विवादित सम्पत्ति पर वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 के शान्तिपूर्ण स्वामित्व व अध्यासन में हस्तक्षेप न करे व न ही विवादित सम्पत्ति से वादी व प्रतिवादीगण 5 ता 19 को बेदखल करें व न ही विवादित सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करे, व न ही विवादित सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई निर्माण करे एवं न ही विवादित रागपति में स्थित वादी व औपचारिक प्रतिवादीगण 5 ता 19 के दरख्तान को न काटें एवं न ही कोई ऐसा कार्य करे, जिससे

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०५०) महोदय चूलचान्द्र कक्ष संख्या-१५
प्रदीप आदि
वनम्
इंजेनियर
वादी
धारा-15 / 01 / 2021

हुमें काम

विवादित सम्पत्ति की प्रकृति बदले, उसके उपयोग—उपभोग व
वास्तविक मूल्य में कमी आवे।

ब— वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण 1 ता 4 से दिलाया जावे।

स— अन्य याचना जो न्यायालय की राय में उचित हो, वादी व औपचारिक प्रतिवादीगण 5 ता 19 के पक्ष में हो, विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 4 प्रदान की जावे।

विवरण विवादित सम्पत्ति

रिथ्त ग्राम—कोईरीपुर, परगना—चांदा, तहसील—लम्भुआ, जिला—सुलतानपुर में रिथ्त खसरा नंबर 645 रकबा 0.2060हें० का जुज भाग जो संलग्न मानचित्र वादपत्र में बरंग सुख्ख दर्शित है, मानचित्र वादपत्र का अभिन्न अंग है।

बृजेश कुमार

प्रार्थी

बृजेश कुमार

वादी

बृजेश

द्वारा,

अधिवक्ता

मैं वादी स्वयं सत्यापित करता हूं कि वादपत्र की धारा 1 ता 12 में अंकित तथा मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सच है एवं धारा—13 ता 15 व 16 याता के राही होने का विश्वास करता हूं। सत्य बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे। स्थान सत्यापन—दीवानी न्यायालय परिसर सुलतानपुर।

तिथि सत्यापन :— 16/01/2021

बृजेश कुमार

न्यायालय श्रीमान सिद्धिल जज (प्र०ख्ड) महोदय सुलतानपुर कक्ष संख्या—15
बृजेश कुमार वादी प्रदीप आदि वनान दायरा तिथि—
/01/2021

न्यायालय सिविल जज (प्रवर रुद्रापति कक्षा)
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या— 120/2021

बृन्दा श्री कुमार बनाम संदीप

दिनांक 16/1/21

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सिरिम आदेश के अन्तर्गत आवलोकित । अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाइ जाएगा ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । 18/2/21
वास्ते व्यान तहसीरी एवं दिनांक 25/2/21
वादविन्दु पेश हो । विषेश को सम्मन जारी हो ।

सिविल जराप्रदान स्थान
कक्षा नं. 15 कक्षान्धरा

5ग2 प्रार्थनापत्र हुक्म इमिनाई चन्द्ररोजा अन्तागत आठाश 30 अक्टूबर
जारी ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशल अन्तर्गत आदेश 26 नवम अक्टूबर जारी ।

—

16.00

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-१५
सुलतानपुर ।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-120/2021

वृजेश कुमार ————— बनाम ————— प्रदीप आदि ।

दिनांक- 16.01.2021

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि को नक्शा मानचित्र में वरंग सुर्ख प्रदर्शित करते हुए उसे अपने स्वत्व व अध्यासन की सम्पत्ति बताया गया है तथा कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0-1 ता 4 का विवादित सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। समर्थन में उद्धरण खतौनी की नकल व अन्य प्रलेख दाखिल किया गया है। उद्धरण खतौनी की नकल के अवलोकन से प्रकट है कि विवादित भूमि गाटा सं0-645 रकबा 0.2060 हेठो वादी व प्रोफार्मा प्रतिवादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रतिवादी सं0-1 ता 4 द्वारा वाद भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है तो इससे वादी का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित नक्शा वाद वरंग सुर्ख गाटा सं0-645 रकबा 0.2060 हेठो पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखें। वादी आदेश सं0 नियम 3 रिं 0 प्र० सं0 का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आगंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 29.01.2021 को पेश हो। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वादीगण के पूर्व रवानी अथवा प्रोफार्मा प्रतिवादीगण ने किसी अन्य के पक्ष में वादभूमि का अन्तरण किया होगा तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी कर दिया जायेगा।

16.01.21

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उपराष्ट्र को सुवित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मर्य नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

16.01.21

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

10
2

29-5-21

ବ୍ୟାପକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କର୍ମଚାରୀ
ଫାର୍ମ - 10-2-21

ପତ୍ର ନାମ - 25-5-21

T.I. 25-5-21

25

102

ବ୍ୟାପକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ

21

25
21

(ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ)
(ଆଇଏସିଆ)

10-2-21 - G.D. 25-5-21

C. 10-15-

ଫାର୍ମ - 25-5-21

ପତ୍ର ନାମ - 25-5-21

T.I. 25-5-21

C. 10-15-

25-5-21 ବ୍ୟାପକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ

(ଫାର୍ମ 21-5-21-ରେ)

ପତ୍ର ନାମ - 25-5-21

T.I. 25-5-21

W

21. 5. 21

G.D.

11. 6. 21

T.I. 25-5-21

11. 6. 21

G.D.

31. 8. 21

T.I. 25-5-21